केस संख्या ________________________

टेक्सस राज्य	§	**FORT BEND COUNTY, TEXAS**
	§	
बनाम	§	**(फोर्ट बेंड काउंटी, टेक्सस) के**
	§	
____________________________	§	**काउंटी कोर्ट एट लॉ नंबर छह में**

DWI कोर्ट अभियोजन पूर्व हस्तक्षेप योजना में भाग लेने के लिए समझौता

AGREEMENT FOR PARTICIPATION IN DWI COURT PRE-TRIAL INTERVENTION

अभियोजन पूर्व हस्तक्षेप योजना में भाग लेने का यह समझौता उपर्युक्त वर्णित मामला संख्या में प्रतिवादी ____ और DWI कोर्ट के ("द कोर्ट") पीठासीन न्यायाधीश के द्वारा इस तारीख़ को दर्ज किया जा रहा है।

प्रतिवादी ने नीचे दी गई बातें कही हैं और निम्न शर्तों पर वह राजी है:

मेरा नाम ______________________________ है। यह मेरा सही और सच्चा नाम है और मैं कभी किसी और नाम से जाना/जानी नहीं गया/गई हूँ। मेरे वर्तमान निवास का पता है __________________________ और वर्तमान टेलीफोन नंबर ___________________________ है। इस समझौते की शर्त के अनुसार, मैं विभाग को नोटिस दिए बिना अपना निवास नहीं बदलूँगा/बदलूँगी और पता बदलने पर पाँच दिन के भीतर विभाग को नए पते के बारे में सूचित करूँगा/करूँगी।

ऊपर वर्णित केस संख्या में मुझ पर नशे की हालत में वाहन चलाने का अभियोजन लगाया गया है। मुझे इस क्षेत्र या अन्य किसी न्यायाधिकार क्षेत्र में, इस मामले के अलावा किसी भी अन्य संगीन मामले में दोषारोपित या अभियोजित नहीं किया गया है।

पिछले 10 साल के अंदर मैं इस या किसी अन्य न्यायाधिकार क्षेत्र में किसी भी संगीन मामले में दोषी नहीं पाया गया/गई हूँ, ना ही मुझे कभी प्रोबेशन पर और ना ही विलंबित न्यायिक निर्णय में रखा गया है। पिछले 10 साल के अंदर किसी संगीन मामले के कारण इस या किसी अन्य न्यायाधिकार क्षेत्र में मैंने किसी अभियोजन पूर्व हस्तक्षेप योजना या डाईवर्ज़न प्रोग्राम (परिवर्तन योजना) में हिस्सा नहीं लिया है।

मैं इस बात से सहमत हूँ कि, मैं आज से शुरू होने वाले अट्ठारह (18) महीने की DWI कोर्ट की अभियोजन पूर्व हस्तक्षेप योजना में हिस्सा लूँगा/लूँगी और यह समझता हूँ कि इस दौरान मैं फोर्ट बेंड काउंटी कम्युनिटी सुपरविज़न ऐंड करेक्शन डिपार्टमेंट (इससे आगे "विभाग") या किसी भी उस विभाग, जिसे यह जिम्मेदारी दी जाएगी, की देखरेख

में रहूँगा/रहूँगी। मैं भलीभांति जानता/जानती हूँ कि मुझे इस देखरेख से एक साल के बाद किसी भी समय छोड़ा जा सकता है लेकिन ऐसी कोई भी समयपूर्व रिहाई पूरी तरह से कोर्ट के विवेक पर निर्भर करती है।

मैं इस बात से सहमत हूँ कि, मैं फोर्ट बेंड रीज़नल काउंसिल ऑन सब्स्टेंस अब्यूज (FBRC) या कोर्ट द्वारा तय किसी भी एजेंसी द्वारा तैयार किए गए आंकलन पत्र में की गई अनुशंसाओं का पालन करूँगा/करूँगी। मैं कोर्ट और विभाग के सभी नियमों और कानूनों का पालन करूँगा/करूँगी और कोर्ट व विभाग द्वारा तय की गई किसी या सभी योजनाओं में विश्वासपूर्वक हिस्सा लूँगा/लूँगी जिसमें रेजिडेंशियल सब्स्टेंस अब्यूज ट्रीटमेंट भी शामिल हो सकता है।

मैं इस बात से सहमत हूँ कि जैसा लिखित में दिया गया है, मैं विभाग में हाजिरी दूँगा/दूँगी।

मैं इस बात से सहमत हूँ कि अगर मुझे आर्थिक रूप से कमजोर नहीं पाया गया, तो मैं कोर्ट या डिपार्टमेंट द्वारा निर्देशित सभी शुल्क और खर्चों का भुगतान करूँगा/करूँगी। यह शुल्क और खर्च निम्न हो सकते हैं:

मासिक देखरेख शुल्क:	$60 प्रति महीना
लैब शुल्क:	$15 प्रति जाँच
इंटरलॉक उपकरण:	$42 प्रति महीना
वीआईपी (विक्टिम इम्पैक्ट पैनल)	$35 प्रति

मैं समझता/समझती हूँ कि DWI कोर्ट द्वारा तय की गई शर्तों का पालन नहीं करने पर मुझे कम्यूनिटी सुपरविज़न घंटे और/या कारावास की सजा हो सकती है।

मैं समझता/समझती हूँ कि अगर मुझे नियम व शर्तों का पालन नहीं करने की वजह से DWI अभियोजन पूर्व हस्तक्षेप योजना से निष्कासित कर दिया जाता है, तो आगे मेरा मामला इस रूप में चालू रहेगा जैसे मैंने कभी इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया ही न हो।

DWI अभियोजन पूर्व हस्तक्षेप के दौरान मैं निम्नलिखित बातों पर अमल करने को तैयार हूँ:

- मैं घातक और अनैतिक आदतों से दूर रहूँगा/रहूँगी। मैं शराब, प्रतिबंधित नशीले पदार्थ, घातक दवाइयों, मारिजुआना या किसी ऐसी दवा जिसे डॉक्टर ने नियम व कानूनों के मुताबिक मुझे न लिखा हो, का इस्तेमाल नहीं करूँगा/करूँगी, सेवन नहीं करूँगा/करूँगी या अपने पास नहीं रखूँगा/रखूँगी।

- मैं, किसी अधिकृत व्यक्ति द्वारा तैयार, नशीले पदार्थ/शराब का विश्लेषण विभाग या विभाग द्वारा तय किसी भी निगरानी संस्था के पास जमा करूँगा/करूँगी। कानूनी दायरे के मुताबिक जो भी कोई दवा मुझे

दी जाएगी, मैं उसका नमूना जमा करने से पहले उसका सबूत पेश करूँगा/करूँगी।

- मैं कम से कम दो विक्टिम इंपैक्ट पैनल्स (VIP) में भाग लूँगा/लूँगी और भाग लेने में जो खर्च होगा उसे वहन करूँगा/करुँगी।

- मैं इस राज्य, किसी दूसरे राज्य, अमेरिका या इन न्यायाधिकार क्षेत्रों के किसी अन्य राजनीतिक खंड के कानूनों का उल्लंघन नहीं करूँगा/करुँगी।

- विभाग या कोर्ट जैसा भी निर्देशित करेंगे, मैं कोर्ट में हाजिर होऊँगा/होऊँगी।

- मैं फोर्ट बेंड काउंटी कम्यूनिटी सुपरविज़न ऐंड करेक्शंस डिपार्टमेंट द्वारा स्वीकृत कंपनी का कैमरा युक्त एक अल्कोहल इंटरलॉक डिवाइस प्राप्त करूँगा/करूँगी, उसे लगवाऊँगा/लगवाऊँगी और चालू अवस्था में रखूँगा/रखूँगी। DWI कोर्ट प्रोग्राम के दौरान मैं जिन वाहनों का इस्तेमाल करूँगा/करुँगी, उन सभी वाहनों में मैं इस सहमति के 15 दिन के अंदर इंटरलॉक उपकरण लगवा लूँगा/लूँगी। इसके अलावा, इंटरलॉक पाने, उसे लगवाने, चालू रखने और उपयोग से संबंधित जितने भी नियम और कानून हैं, मैं उन सभी का पालन करूँगाकरूँगी। मैं इस बात से सहमत हूँ कि सुपर्वाइज़िंग ऑफिसर के अनुरोध पर, मैं कहे गए इंटरलॉक उपकरण उन्हें दिखाऊँगा/दिखाऊँगी। कहे गए उपकरण की खरीद पर जो खर्च होगा उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। मैं इस बात से सहमत हूँ कि अगर मेरे पास वाहन चलाने का वैध लाइसेंस नहीं है और/या मैं वाहन नहीं चला रहा/रही हूँ, तो इग्निशन इंटरलॉक के बदले मैं घर पर इस्तेमाल होने वाले उपकरण का इस्तेमाल करूँगा/करूँगी।

प्रतिवादी द्वारा ऊपर वर्णित अभ्यावेदन के आधार पर कोर्ट और प्रतिवादी अब निम्न बातों पर सहमत हैं:

प्रतिवादी के पास DWI अभियोजन पूर्व हस्तक्षेप योजना में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है और इस योजना में शामिल होकर ऊपर वर्णित मामले को हल करने का प्रतिवादी का अधिकार पूरी तरह से कोर्ट और फोर्ट बेंड काउंटी डिस्ट्रिक्ट एटॉर्नी ऑफिस के विवेक पर निर्भर है जिसकी समीक्षा नहीं हो सकती।

DWI अभियोजन पूर्व हस्तक्षेप योजना के नियम और शर्तों का प्रतिवादी ने कहीं कोई उल्लंघन तो नहीं किया है, इसे तय करने की जिम्मेदारी कोर्ट की होगी और इसकी बाद में समीक्षा नहीं की जाएगी।

प्रतिवादी के इस प्रोग्राम में भाग लेने की देखरेख विभाग द्वारा की जाएगी और इसे टेक्सस गवर्मेंट कोड धारा 76.011 के तहत विभाग द्वारा संचालित अभियोजन पूर्व हस्तक्षेप योजना माना जाएगा। प्रतिवादी इस बात से सहमत है

कि अगर वह समझौते से हटता/हटती है, तो यह मामला टेक्सस कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अनुच्छेद 55 के नियमों द्वारा नियंत्रित होगा।

DWI अभियोजन पूर्व हस्तक्षेप योजना में प्रतिवादी की सहभागिता निलंबित होने की स्थिति में ऊपर वर्णित मामला इस कोर्ट में सुनवाई के लिए उसी तरह आएगा जैसे हस्तक्षेप समझौता कभी था ही नहीं।

प्रतिवादी इस बात से सहमत है कि फोर्ट बेंड काउंटी डिस्ट्रिक्ट एटॉर्नी ऑफिस और काउंटी कोर्ट ऐट लॉ नंबर 6 को DWI अभियोजन पूर्व हस्तक्षेप योजना में प्रतिवादी के भाग लेने से जुड़े कागज़ात संभालने की इजाज़त है। साथ ही, विभाग भविष्य में इस योजना के लिए पात्रता निर्धारित करने के लिए इससे जुड़ी सूचनाओं का उपयोग कर सकता है।

मैंने, जो यहां प्रतिवादी है, इस समझौते को पूरी तरह से पढ़ लिया है और मैं शपथपूर्वक कहता/कहती हूँ कि यह पूरी तरह से सच और सही है और कोर्ट और मेरे बीच के पूरे समझौते का प्रतिनिधित्व करता है।

प्रतिवादी____

तारीख़ __________ मेरे सामने शपथ ली और हस्ताक्षर किए_______________________________________

____
डेप्युटी काउंटी क्लर्क काउंटी
कोर्ट ऐट लॉ नंबर 6 फ़ोर्ट बेंड
काउंटी, टेक्सस

____
प्रतिवादी के अँगूठे का निशान (दाएँ)

प्रतिवादी के वकील का प्रतिनिधित्व:

उपर्युक्त वर्णित केस क्रमांक में, मैं प्रतिवादी का प्रतिनिधित्व करता/करती हूँ। मैंने अपने मुवक्किल को चल रहे DWI अभियोजन पूर्व हस्तक्षेप योजना के नियम और शर्तों के बारे पहले ही सलाह और मशविरा दे दिया है; मेरा मुवक्किल इस समझौते के सभी नियम और शर्तों को समझता है; और मेरा मुवक्किल इस समझौते में बिना किसी दवाब के, सोच-समझकर और समझदारी पूर्वक शामिल हुआ/हुई है।

__________________________________ ____________________________

प्रतिवादी के वकील | तारीख़

असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट एटॉर्नी का प्रतिनिधित्व:

फ़ोर्ट बेंड काउंटी डिस्ट्रिक्ट एटॉर्नी ऑफिस (FBCDAO) के अधोहस्ताक्षरी असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट एटॉर्नी द्वारा टेक्सस राज्य सहमत है कि अगर प्रतिवादी इस समझौते के नियम और शर्तों को सफलतापूर्वक संतोषजनक तरीके से पूरा कर लेता/लेती है तो कोर्ट, FBCDAO उपर्युक्त वर्णित मामले को खारिज कर देगा।

सहमति के साथ संस्तुति:

__________________________________ ____________________________

हस्ताक्षर, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट एटॉर्नी | तारीख़

तारीख फ़ोर्ट बेंड काउंटी, टेक्सस

____

पूरा नाम, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट एटॉर्नी

केस संख्या ______________________

टेक्सस राज्य	§	फ़ोर्ट बेंड काउंटी, टेक्सस
	§	
बनाम	§	(फोर्ट बेंड काउंटी, टेक्सस) के
	§	
______________________	§	काउंटी कोर्ट एटलॉ नंबर छहमें

DWI अभियोजन पूर्व हस्तक्षेप योजना में भाग लेने के लिए आदेश

ORDER FOR PARTICIPATION IN DWI COURT PRE-TRIAL INTERVENTION

फ़ोर्ट बेंड काउंटी, टेक्सस के डिस्ट्रिक्ट एटॉर्नी द्वारा औरउसके माध्यम से टेक्सस राज्य औरप्रतिवादी के बीच समझौते पर कोर्ट का आदेश:

1. प्रतिवादी निम्न शुल्क अदा करेगाः मासिक देखरेख शुल्क:

   $60 प्रति महीना

लैब शुल्क:	$15 प्रति जाँच
इंटरलॉक उपकरण	$42 प्रति महीना
VIP (विक्टिम इम्पैक्ट पैनल):	$35 प्रति

   अगरप्रतिवादी को उसके आर्थिक स्थिति से संबंधित शपथपत्र के आधार पर निर्धन नहीं माना जाता है, तो यहभुगतान हस्तक्षेप योजना में भाग लेने के खर्चे के तौर पर विभाग को किए जाएँ औरविभाग आदेश देता है कि यहराशि वसूली जाए औरइससमझौते की देखरेख की जाए।

2. प्रतिवादी इससमझौते का उसी तरहसे पालन करेगा जैसा ऊपरवर्णित किया गया है।

हस्ताक्षरित औरआदेशित________________________________

____
पीठासीन न्यायाधीश
काउंटी कोर्ट एटलॉ नंबर 6,

DWI कोर्ट समझौता

अंतिम बार अपडेट करने की तारीख: 6-10-19